आवश्यक/बैठक

संख्या:44/2020/1958/12-2-2020-एस.85/2008

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2020

विषय: रबी अभियान 2020 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:38/2020/1924/12-2-2020-एस.85/2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी अभियान 2020 के अंतर्गत अधिक फसलोत्पादन के मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नलिखित मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रात: 11.00 बजे से निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित होने वाली गोष्ठी का लिंक https://desktopvc.nic.in/flex.html?roomdirect.html&key=gK756oeMfI है जिसके माध्यम से जुडकर अपने यहॉ से भी प्रतिभाग कर सकते हैं । अन्य तिथियों का लिंक अलग से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा :-

क्र0सं0	स्थान	कृषि विश्वविद्यालय का नाम	संबंधित मण्डल	दिनांक
1	एन0आई0सी0, गोरखपुर।	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।	अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ एवं वाराणसी	15 अक्टूबर, 2020
2	एन0आई0सी0, बांदा।	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।	चित्रकूट, झांसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज	19 अक्टूबर, 2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उक्त रबी उत्पादकता गोष्ठी में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के संबंधित अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे।

4. रबी उत्पादकता गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजित गोष्ठी में संबंधित विभाग के शासन स्तर के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:44/2020/1958(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ पशुपालन/ मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण/परती भूमि/रेशम, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा/डीम्ड विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/वाराणसी हिन्दू विश्वविश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/ उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. सामान्य प्रबंधक, संबंधित बीमा कम्पनियॉ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
16. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उक्त रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित करते हुए गोष्ठी के आयोजन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
20. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
22. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
23. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।